

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(29) WIFS/IEC/ICDS/2014/
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

171896-929

दिनांक : 20-9-18

विषय—wifs कार्यक्रम के तहत IFA की नीली गोली की वार्षिक मांग भिजवाने बाबत।

राज्य में किशोर बालक-बालिकाओं में अनीमिया को दूर करने हेतु विपस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली समस्त किशोरी बालिकाओं को साप्ताहिक विपस (आईएफए) की नीली गोली खिलाई जाने का प्रावधान है।

wifs कार्यक्रम के तहत आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली की सतत आपूर्ति अति महत्वपूर्ण है, IFA गोलियों की आपूर्ति चिकित्सा विभाग के द्वारा की जाती है। अतः इस हेतु आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपने जिलों के लिए आवश्यक गोलियों की मांग (Demand) आंगनवाड़ी स्तर से एकत्र कर जिला स्तर पर चिकित्सा विभाग में डिप्टी सीएमएचओ को भिजवाकर एक प्रति राज्य स्तर पर भी भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे की गोलियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सही संख्या में की जा सके। गोलियों की मांग निकालने हेतु दिए गये निम्न सूत्र का उपयोग किया जाये -

आईसीडीएस आधारित कार्यक्रम इस वर्ष के लिए आवश्यकता = आईसीडीएस (आंगनवाड़ी) में पंजीकृत किशोरी बालिकाओं की संख्या + आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा की संख्या × 52 गोलीयों बफर स्टाफ के रूप में 10% अतिरिक्त

उक्त आवश्यक सूचना अपने अपने जिलों की आपूर्ति की जाने वाली गोलियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक मांग दिनांक 1 अक्टूबर 2018 तक विभागीय ई-मेल ecerajasthan2017@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)(29) WIFS/IEC/ICDS/2014/ 171930-2238

दिनांक : 20-9-18

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.व, मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर